



# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क जयपुर नगर निगम

क्रमांक: एफ.9( )आ.फा./ज.न.नि./23/2813 दिनांक 18/07/23

श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत,  
पुत्र श्री कल्याण सिंह,  
निवासी 176 देवी नगर न्यू सांगानेर रोड,  
सोडाला।


विषय:- डयोढी कोढी जोबनेर जयपुर में निर्मित सवाई मान सिंह इन्टरनेशनल स्कूल की स्थाई फायर अनापत्ति चाहने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा आवेदित स्थल डयोढी कोढी जोबनेर जयपुर में निर्मित सवाई मान सिंह इन्टरनेशनल स्कूल की स्थाई फायर अनापत्ति चाहने हेतु इस विभाग में आवेदन किया है, जिसके सम्बन्ध में इस का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर वर्तमान में भूतल, प्रथम तल तक निर्माण किया गया है व स्थल पर एक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। स्कूल में की गई अग्निशमन व्यवस्था:-

1. वर्तमान में स्कूल के भूतल व प्रथम तल पर चार-चार ए.बी.सी टाईप फायर एगसटीनग्युसर स्थापित है।
2. भूतल पर चार फायर बकेट मय स्टेण्ड लगे हुये है।
3. स्थल पर लगे सभी अग्निशमन उपकरण वर्तमान में कार्यशील अवस्था में पाये गये है व अग्निशमन उपकरण एन.बी.सी के समरूप प्रतीत होते है।

अतः उक्त भूखण्ड पर निर्मित स्कूल की स्थाई फायर अनापत्ति पत्र जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तानुसार जारी की जाती है। आवेदक द्वारा एक वर्ष बाद फायर अनापत्ति का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा व अग्निशमन उपकरणों/व्यवस्थाओं की इस विभाग से जाँच करानी होगी:-

1. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घन्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
2. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घन्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
3. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
5. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
6. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवम् इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
7. भवन में पार्किंग की नियमानुसार व्यवस्था करनी होगी एवम् उक्त स्थल पर अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।

  
ज (बी.डी.एस.) प्रसाद फुलवारो  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम जयपुर